न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2021
जीसीएमएस नं. :2021/50

प्रार्थीपक्ष :–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ़

बनाम

अप्रार्थी :–

श्रीमती कविता/राकेश पणदा कोषाध्यक्ष महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह मगरदाडामरासाथ

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री राजेन्द्र कुमार जैन –अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6

दिनांक :– 19.01.2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ़ द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिला रसद अधिकारी बांसवाडा के मौखिक निर्देशानुसार दिनांक 25.09.2021 बहमराह श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाड़ा के ग्राम पंचायत मगरदाडामरासाथ में अवेध रूप से भंडारित गेहू के संग्रहण की जांच की गई। श्री प्रदीप सिंह सीआई पुलिस थाना कुशलगढ़ द्वारा बताया कि वे किसी जांच के सिलसिले में टीम के साथ मगरदा खतेलासाथ गये थे, उन्हे उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती कविता/राकेश पणदा के घर सार्वजरिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य खाद्यान्न सामग्री मिली। श्रीमती कविता/ राकेश पणदा कोषाध्यक्ष महालक्ष्मी स्वंय सहायता समूह मगरदाडामरासाथ के घर पुलिस कांस्टेबल श्री भरत पाटीदार के साथ पहुंचे। श्रीमती कविता उपस्थित नहीं मिली। परिवारजनों से पूछताछ पर बताया गया कि वह रीट–2021 की परीक्षा देने गई हुई है। मोतबिरानो की मौजूदगी में गेहूं भण्डारण कक्ष पर सिल्ड चस्पा की गई। श्रीमती कविता के

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ससुर श्री धर्मेंद्र/टीटा को पाबन्द किया गया। दिनांक 30.09.2021 को श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक के साथ पुनः उचित मूल्य दुकान मगरदा पार्ट–द्वितीय की. जांच की गई। मौके पर श्रीमती कविता उपस्थित मिली। मौके पर उपस्थित गवाहान एवं श्रीमती कविता के समक्ष कक्ष पर लगाई गई सिल्ड को हटाकर एवं ताला खोलकर कक्ष में भंडारित सामग्री की जांच की गई। कक्ष में 118 सीलबंद कट्टों में गेहूँ एवं चनादाल के बारे में पूछने पर श्रीमती कविता ने बताया कि उक्त गेहूँ उन उपभोक्ताओं का है जो पोस मशीन पर अंगूठा लगाने बाद गेहूँ यहां रखकर गए है। चनादाल के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर सीलबंद कट्टों में अनाधिकृत स्थल पर रखा गया गेहूँ एवं चनादाल कालाबाजारी करने की नियत से रखा जाना प्रतीत होने पर उक्त गेहूँ एवं चनादाल का तौल करवाया गया। 118 कट्टों में कुल 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ पाया गया। 02 कट्टों में 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम चनादाल पाई गयी। उक्त दाल खराब हो चुकी थी। अनाधिकृत स्थल पर भंडारित 118 कट्टों में 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ एवं 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम चनादाल को जब्त किया जाकर लेम्पस सज्जनगढ़ के मैनेजर अश्विन कुमार लोहार को सुपुर्दगी में दिया गया। जांच के दौरान मगरदाडामरासाथ भाग– द्वितीय के ग्राम खतेलासाथ में अधिकृत गोदाम की भी जांच की गई। पोस मशीन संख्या 6387 के अनुसार गोदाम में समस्त योजनाओं का 346.26 क्वि. गेहूँ होना चाहिए था, परन्तु मौके पर 680 कट्टों में 333.54 क्वि. गेहूँ ही पाया गया। इस प्रकार गोदाम में 12 क्वि. 71 किग्रा. 57 ग्राम गेहूँ कम पाया गया। ग्राम पंचायत मगरदाडामरासाथ भाग–द्वितीय की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्य 1532/2017 महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह मगरदाडामरासाथ के नाम पर जारी किया गया है एवं उसकी कोषाध्यक्ष श्रीमती कविता पणदा/राकेश पणदा राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण हेतु अधिकृत है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए में प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 118 कट्टों में 58 क्वि 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ एवं 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम चनादाल को राजसात करने के आदेश प्रदान कराये जाकर गेहूँ एवं चनादाल शीघ्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

ही खराब होने वाली वस्तुऐं है। इस कारण इनका अंतरिम निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करावें।

इस पर दिनांक 26–11–2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गए।

दिनांक 23–12–2021 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार जैन का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 10–01–2022 को अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रकरण झूठा दर्ज किया गया है। गेहु चना रखा गया है जो महिला समुह की निगरानी में रखा गया है। जिस स्थान पर गोदाम है, वहॉ बारिश की वजह से सीलन आ गई थी और गेहु भी खराब हो रहा था। किसी भी प्रकार गेहु को खुर्द बुर्द नही किया गया है। चना आई.सी.डी.एस का था वह खराब हो गया था जिसकी सूचना विभाग को दे दी गई थी। गेहु चना जो वितरण के लिये आया था वह जितना था, उसके अनुसार पूर्ण था, किसी भी प्रकार से कम नही था। गेहु का अवैध रुप से संधारित नही किया गया है। पोस मशिन व रेकार्ड के मिलान करने पर किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। गौदाम व घर के पास काफी आबादी है। जॉच अधिकारी ने गॉव के किसी भी लोगो से पुछताछ नही की और न ही महिला समूह के सदस्यो से पुछताछ की है। अतः कार्यवाही निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 19.01.2022 को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बांसवाडा के मौखिक निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मगरदाडामरासाथ में अवेध रूप से भंडारित गेहू के संबंध में जांच की गई। अनाधिकृत स्थल पर रखा गया गेहूँ एवं चनादाल कालाबाजारी करने की नियत से रखा जाना प्रतीत होने पर उक्त गेहूँ एवं चनादाल का तौल करवाया गया। 118 सीलबंद कट्टों में कुल 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ पाया गया। 02 कट्टों में 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम चनादाल पाई गयी। उक्त दाल खराब हो चुकी थी। अनाधिकृत स्थल पर भंडारित 118 कट्टों में 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ एवं 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम [illegible] लेम्पस सज्जनगढ के मैनेजर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अश्विन कुमार लोहार को सुपुर्दगी में दिया गया। जांच के दौरान मगरदाडामरासाथ भाग–द्वितीय के ग्राम खतेलासाथ में अधिकृत गोदाम की भी जांच की गई। पोस मशीन संख्या 6387 के अनुसार गोदाम में समस्त योजनाओं का 346.26 क्वि. गेहूँ होना चाहिए था, परन्तु मौके पर 680 कट्टों में 333.54 क्वि. गेहूँ ही पाया गया। इस प्रकार गोदाम में 12 क्वि. 71 किग्रा. 57 ग्राम गेहूँ कम पाया गया। ग्राम पंचायत मगरदाडामरासाथ भाग–द्वितीय की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्य 1532/2017 महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह मगरदाडामरासाथ के नाम पर जारी किया गया है एवं उसकी कोषाध्यक्ष श्रीमती कविता पणदा/राकेश पणदा राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण हेतु अधिकृत है। अनाधिकृत स्थल पर पाये उक्त 118 सीलबंद कट्टों में 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ एवं 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम चनादाल को राजसात करने के आदेश जारी करावे। साथ ही उक्त गेहूँ एवं चनादाल शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तुऐं है। इस कारण इनका अंतरिम निस्तारण करने के आदेश करावें।

विद्वान अभिभाषक, अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि गेहु चना रखा गया है जो महिला समुह की निगरानी में रखा गया है। जिस स्थान पर गोदाम है, वहॉ बारिश की वजह से सीलन आ गई थी और गेहु भी खराब हो रहा था। किसी भी प्रकार गेहु को खुर्द बुर्द नही किया गया है। उक्त जब्त शुदा गेहूं डीलर को वापस सुपुर्द कराने अथवा राजसात करने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ भी कथन नहीं करते हुए गेहूं का निस्तारण किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा के मौखिक निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मगरदाडामरासाथ में अवेध रूप से भंडारित गेहू के संबंध में जांच की गई। अनाधिकृत गोदाम में भण्डारित गेहूँ एवं चनादाल कालाबाजारी करने की नियत से रखा जाना प्रतीत होने पर उक्त गेहूँ एवं चनादाल का तौल करवाया गया। 118 सीलबंद कट्टों में कुल 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहूँ पाया गया। 02 कट्टों में 01 क्वि. 02 कि. ... ग्राम चनादाल पाई गयी। स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

गोदाम के अलावा अन्य स्थान पर राशन सामग्री का भण्डारण नियमो के विपरीत होकर अप्रार्थी का उद्देश्य कालाबाजारी करने का पाया जाता है।

अतः प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 118 सीलबंद कट्टों में कुल 58 क्वि. 90 किग्रा. 190 ग्राम गेहु, 02 कट्टों में 01 क्वि. 02 किग्रा. 70 ग्राम चनादाल को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा उक्त जब्तशुदा गेहुँ एवं चना दाल का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनाक 19.01.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner